


# राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर।

अपील संख्या 439 / 2015.....जिला.....जयपुर.....

उत्तर— पीतम सिंह हरवंश सिंह मालवीय नगर, जयपुर बनाम सहायक वाणिज्यिक कर अधिकारी, प्रतिकरापवंचन जोन—तृतीय, वार्ड—प्रथम, जयपुर

<p>तारीख हुक्म</p>	<p>हुक्म या कार्यवाही मय इनीशियल जज्ज</p>	<p>नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए</p>
<p>09.04.2015</p>	<p style="text-align: center;"><u>एकलपीठ</u> <u>श्री मदन लाल — सदस्य</u></p> <p>अपीलार्थी अभिभाषक अनुपस्थित व प्रत्यर्थी विभाग की ओर से श्री आर.के. अजमेरा, उपराजकीय अभिभाषक उपस्थित।</p> <p>अपीलार्थी व्यवसायी द्वारा हस्ताक्षरित प्रार्थना—पत्र पत्रावली पर उपलब्ध है, जिसमें अपीलार्थी ने निवेदन किया कि विचाराधीन प्रकरण में राज्य सरकार द्वारा घोषित एमेनेस्टी योजना, 2015 का लाभ लेना चाहते हैं, इस हेतु प्रकरण वापस (Withdraw) लेना चाहते हैं।</p> <p>इस पर विद्वान उपराजकीय अभिभाषक ने प्रस्तुत अपील को विद्वा करने के संबंध में किसी प्रकार की आपत्ति प्रकट नहीं की गयी।</p> <p>फलस्वरूप अपीलार्थी व्यवसायी के पत्रावली पर उपलब्ध प्रार्थना पत्र के आधार पर हस्तगत अपील संख्या 439 / 2015 / जयपुर को विद्वा करने की अनुमति दी जाती है। अतः प्रस्तुत अपील जरिये विद्वा खारीज की जाती है।</p> <p>आदेश सुनाया गया।</p> <p style="text-align: right; margin-right: 50px;">           9.4.2015          (मदन लाल)          सदस्य       </p>	